अधिक से अधिक पट्टे देने के लिए कई प्रकार की छूट

कोटा/ प्रशासन शहरों के संग अभियान में अधिक से अधिक भूखंड धारियों को पट्टे मिल सकें इसके लिए सरकार कई प्रकार की छूट देने के लिए नियमों का सरलीकरण कर रही है। नगर विकास न्यास सचिव श्री राजेश जोशी ने बताया कि जिन भूखंडों का एक से अधिक बार विक्रय हो चुका है और उनमें बीच का कोई लिंक नहीं मिल रहा है तो ऐसे मामलों में भी वर्तमान भूखंड धारक से किसी न किसी दस्तावेज के आधार पर पट्टा दिया जाएगा। लिंक के अभाव में वह पट्टे से महरूम नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि साल सीलिंग मै आई भूमि के पट्टे भी दिए जाएंगे।

न्यास सचिव ने बताया कि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के निर्देशों के अनुसार 2 अक्टूबर से प्रस्तावित अभियान की न्यास ने तेजी से तैयारी शुरू कर दी है। न्यास अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठौर ने भी तैयारी की समीक्षा कर निर्देश प्रदान किए हैं कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले।

उन्होंने बताया कि कॉलोनियों के भू-उपयोग की रिपोर्ट मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन शाखा द्वारा तैयार की जा रही है। अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यों में कॉलोनियों के पट्टों से सम्बन्धित कार्य के अलावा नगर विकास न्यास द्वारा भवन मानचित्र प्रकरण, नाम हस्तान्तरण प्रकरण, भूखण्डों के उपविभाजन/पुर्नगठन, अपंजीकृत पट्टों को पुन: वैध करने, सिवायचक भूमियों पर बसी हुई कॉलोनियों के नियमन का कार्य, कच्ची बस्तियों के नियमन/पट्टे जारी करने सम्बन्धित कार्य भी किये जायेंगे।

न्यास सचिव ने बताया कि कृषि भूमि पर बसी गैर-अनुमोदित कॉलोनियों का सर्वे कार्य चालू कर दिया गया है। जिसके तहत अब तक लगभग 493 कॉलोनियों का सर्वे किया जा चुका है। सर्वे द्वारा यह पता लगाया जा रहा है कि यह कॉलोनियां कितनी पुरानी है, इनमे कितनी आबादी बस चुकी है, इनमें सुविधा क्षेत्र जैसे-पार्क, सड़कें आदि की क्या स्थिति है। ताकि इनके नियमन में आ रही बाधाओं का पता लगाया जा सके और उन्हें दूर करवाया जा सके।

सचिव ने बताया कि इन कॉलोनियों के भू-उपयोग की रिपोर्ट मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन शाखा द्वारा तैयार की जा रही है। अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यों में कॉलोनियों के पट्टों से सम्बन्धित कार्य के अलावा नगर विकास न्यास द्वारा भवन मानचित्र प्रकरण, नाम हस्तान्तरण प्रकरण, भूखण्डों के उपविभाजन/पुर्नगठन, अपंजीकृत पट्टों को पुन: वैध करने, सिवायचक भूमियों पर बसी हुई कॉलोनियों के नियमन का कार्य, कच्ची बस्तियों के नियमन/पट्टे जारी करने सम्बन्धित कार्य भी किये जायेंगे।

उन्होंने बताया कि अभियान में न्यास से सम्बन्धित सभी छोटी- मोटी समस्याओं के समाधान के साथ – साथ नगर निगम से सम्बन्धित समस्याओं, बिजली,पानी आदि समस्याओं का समाधान भी किया

जाएगा।